

जति. जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर (राज.)

फर्द अहकामे  
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर



वीरपालकौर वगैरा बनाम हरप्रीतकौर वगैरा व राज्य  
अपील इंतकाल प्रकरण सं० 81 / 2013

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
11.11.13	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील वाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेकार्ड व रेस्पोंडेंट्स को तलब करें। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोंडेंट्स को पाबन्द किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में आगामी तारीख पेशी तक रहन वैय न किया जावे व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। पत्रावली दिनांक 20.12.2013 को पेश हो।	M.I. 2799 11.11.13
20-12-13	पत्रावली पेश हुई। Adm & का प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 31-12-13 को पेश हो।	
31.12.13	वार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पंचासीन अधिकारी अपेक्षा पर है। पत्रावली दिनांक 14.02.14 को पेश हो।	
14.02.14	पत्रावली पेश हुई। अपार्षी की जारी नोटिस वाद्य तामील प्राप्त। अपार्षी उप० नहीं। पूर्व में जारी स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। रिकॉर्ड अप्रप्त पत्रावली दिनांक 20.03.14 को पेश हो।	
20.03.14	पत्रावली पेश हुई। रिकॉर्ड अप्रप्त। पूर्व में जारी स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली दिनांक 29.04.14 को पेश हो।	
29.04.14	पत्रावली पेश हुई। अपार्षी की जारी नोटिस 14.02.14 की अवधि तामील होकर प्राप्त हो चुका है, अपार्षी उप० नहीं। आतः इनमें	


9.12.15

अभिभावक उमराफा उय०। पूर्व में जारी स्थगन आदेश की अवधि का ० देरी तक बढ़ाई जाती है। विवाद तलब करें। धारा १०१ के अंतर्गत दिनांक 11.02.15 को पेश हो

12-12-15

No T Present  
12-12-15

अपील का प्रार्थना पत्र जो उनके अधिवक्ता श्री तेजाराज कोसल दि० 11.12.15 को पेश किया गया था, के आधार पर पत्राचार पेशी में ही गई। वकील अपीलांत में अपील को NOT Process कर



प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाने का निर्देश किया है। अतः अपील अपीलांत NOT Process में खारिज की जाती है। आदेशिका के अनुसार पूर्व में जारी स्थगन निरस्त किया जाता है। आदेशिका की प्रति उच्च न्यायालय को भेजी जाए। पत्राचार के मुख्य मुद्दों की जांच आक तन्मय नास्विय दफ्तर हो। आदेश पूर्वके न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर (राज.)